Azadi Ka Amrit Mahotsav

जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः एफ17(8)/12/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो/सामान्य/2019/502 दिनांकः 21/02/2023

कार्यालय आदेश

कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसरण में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर में श्रीमती सुनीता मीणा, प्रोग्रामर को शिकायतों के पर्यवेक्षण एवं निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर, महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनने एवं निराकरण करने हेतु निम्नानुसार आन्तरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया जाता हैः–

1. श्रीमती मेघा गर्ग, सांख्यिकी निरीक्षक – अध्यक्ष
2. श्रीमती सुनिता पिगोंलिया, सांख्यिकी निरीक्षक – सदस्य
3. श्रीमती उषा चौधरी, सूचना सहायक – सदस्य
4. श्री योगेश कुमार पारीक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी – सदस्य सचिव

उक्त समिति प्राधिकरण स्तर पर प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों की सुनवाई व निस्तारण कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को यथा समय प्रस्तुत करेगी।

(सीताराम स्वरूप)
संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ17(8)/12/डी.ई.एस./रा.ज.आ.यो/सामान्य/2019/503-10 दिनांकः 21/02/2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, आयोजना विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, महिला अधिकारिता (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ) विभाग, जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर।
6. संबंधित कार्मिक ....
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त निदेशक

Digitally signed by Sitaram Swaroop
Designation: Joint Director Statistics
Date: 2023.02.21 1?:52:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3206682